



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (सिविल लाईन जोन) नगर निगम, जयपुर

(सिविल लाईन जोन, नई विधान सभा के पास, लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:-एफ-29()/एम.ई. सि.ला. जोन/2017/191

दिनांक:-12-6-17

रत्नावत इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स0 कम्पनी
ख. नं. 35 (पार्ट) ग्राम
भोजपुरा, सहकार मार्ग,
योजना लाल कोठी, जयपुर।

विषय :- सीवर कनेक्शन की स्वीकृति बाबत।
प्रसंग :- आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा सीवर कनेक्शन की स्वीकृति चाही गई है। आप द्वारा राशि रु0 22,77,459/- (रसीद सं0 501/9024 दिनांक 07.06.2017) निगम कोष में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करवा दी गई है। अतः उक्त सीवर लाईन का कनेक्शन करने से पूर्व रोडकट की स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने के पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार आपको सीवर कनेक्शन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- यह कि सीवर लाईन वर्तमान रोड लेवल से कम से कम 1.20 मीटर गहराई पर डाली जावें।
- खुदाई करने से पहले आवागमन/राहगीर/वाहनो की सुरक्षा सुनिश्चित की जावें इस हेतु आवश्यक बैरिकेडिंग की जावें।
- सीवर लाईन, पानी की लाईन, टेलीफोन लाईन को सुरक्षित रखते हुए खुदाई की जावे।
- खुदाई के दौरान किसी भवन को कोई क्षति न हो।
- खुदाई की मिटटी को रिफिलिंग कर पानी डालकर पिट को भरा जावें एवं अतिरिक्त मिटटी को हटवाया जावें।
- किसी भी तरह के damage होने पर उसकी वास्तविक लागत एवं सुपरविजन चार्ज 15 प्रतिशत देना होगा।
- सम्बन्धित थाने में सूचना दी जावें।
- कार्य पूर्ण होने पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सूचना प्रस्तुत करें।

शर्तों की पालना सुनिश्चित किया जावें।

Binu

अधिशाषी अभियन्ता
(सिविल लाईन जोन)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता महोदय, नगर निगम, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, नगर निगम, जयपुर।
3. सुरक्षित पत्रावली।

Binu

अधिशाषी अभियन्ता
(सिविल लाईन जोन)
नगर निगम जयपुर